(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(25)/LA-2003/LJ/07/ 627 Dated: 31.01.2007

NOTIFICATION

No.F.14 (25)/LA-2003/ - The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 24th January, 2007 and is hereby published for general information: -

"THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) ACT, 2006 (DELHI ACT 2 OF 2007)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 7th November, 2006).

[24th January, 2007]

An Act further to amend the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

1. Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall come into force on such date as the Lt.Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. – In the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995) (hereinafter referred to as "the principal Act")-

DVS

(i) in section 3 -

(a) in sub-section (1), for the word "four", the word "ten" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the word "four", the word "five" shall be substituted;

(c) in sub-section (3), for the word "six", the word "eight" shall be substituted;

(d) sub-section (5) shall be omitted;

(ii) to section 3, the following proviso shall be added at the end, namely:-

" Provided that the rates of salary, daily allowance and constituency allowance specified in this section shall be applicable for a period of five years from the date of commencement of the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2006."

3. **Substitution of new section for section 4.**— For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"4. Sumptuary Allowance to Ministers.— There shall be paid a sumptuary allowance to each Minister at the rate of four thousand rupees per mensem."

4. **Amendment of section 5.**— In the principal Act, in section 5, for the Explanation , the following Explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation.— For the purposes of this section, "residence" includes the staff quarters, residential offices and other buildings appurtenant thereto and the garden thereof, and "maintenance" in relation to a residence shall include—

(a) providing electricity at the residential offices, staff quarters and the garden of each Minster at the government expense;
(b) provision of water at the government expense;
(c) providing electricity at the residence of the Chief Minister (excluding residential offices, staff quarters and the garden) to the extent of five thousand units consumed per mensem and those of the other Ministers (excluding residential offices, staff quarters and the garden) to the extent of three thousand units consumed per mensem;
(d) payment of local rates and taxes to each Minister."

DVS

5. **Amendment of section 7.**— In the principal Act, in section 7, in sub-section (1), after the words and letter "Group 'A' officers" and before the words "of the Government", the words " of the highest grade" shall be inserted.

6. **Amendment of section 8.**— In the principal Act, in section 8, after the words "Medical Attendance Rules," and before the words "as amended", the words "and the Delhi Government Employees Health Scheme" shall be inserted."

(Rakesh Syal)
Joint Secretary (Law, Justice &L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 14(25)एल0ए0–2003/एल/जे/07 / 627 दिनांक 31 जनवरी, 2007

अधिसूचना

सं फा. 14(25)/एल0ए0/2003 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को दिनांक 24 जनवरी, 2007 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई तथा एतद्द्वारा उसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2006
(2007 का दिल्ली अधिनियम 2)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को यथा पारित)

[24 जनवरी, 2007]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 का पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियममित किया जाए :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ. – (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाए ।

(2) यह उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. धारा 3 का संशोधन. – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) (इसके बाद "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित है) में –

(i) धारा 3 में –

"(क) उपधारा (1) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "दस" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "पॉच" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ग) उपधारा (3) में शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "आठ" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(घ) उप्धारा (5) हटाई जाएगी।" :

(ii) धारा 3 के साथ निम्नलिखित परन्तुक को अंत में जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"उपबंध है कि इस धारा में विनिर्दिष्ट वेतन, दैनिक भत्ता तथा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता की दरें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मन्त्री (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2006 के लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगी।" ।

3. धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन.– मूल अधिनिमय की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
"4. मंत्रियों को आतिथ्य भत्ता . – प्रत्येक मंत्री को चार हजार रुपये प्रतिमाह की दर से आतिथ्य भत्ता दिया जाएगा ।"

4. धारा 5 का संशोधन. – मूल अधिनियम की धारा 5 की व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
"व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजन के लिए "आवास" में स्टाफ क्वार्टर, आवासीय कार्यालय तथा इससे जुड़े अन्य भवन तथा इसका बगीचा शामिल है, तथा किसी आवास के संदर्भ में "रखरखाव" के संदर्भ में शामिल होंगे –
(क) प्रत्येक मंत्री के आवासीय कार्यालय, स्टाफ क्वार्टरों तथा बगीचे में सरकारी खर्च पर बिजली उपलब्ध कराना;
(ख) सरकारी खर्च पर पानी की व्यवस्था;
(ग) मुख्यमंत्री के आवास में (इसमें आवासीय कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर तथा बगीचा शामिल नहीं है) उपभोग किए गए बिजली के पॉच हजार यूनिट प्रतिमाह तक और अन्य मंत्रियों (इसमें आवासीय कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर तथा बगीचा शामिल नहीं है) के लिये उपयोग किए गए बिजली के तीन हजार यूनिट प्रतिमाह तक उपलब्ध कराना;
(घ) प्रत्येक मंत्री को स्थानीय दरों तथा करों का भुगतान।"

5. धारा 7 का संशोधन. – मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द तथा अक्षर "क' वर्ग के अधिकारी" के पश्चात् तथा शब्द "सकार के" पूर्व, शब्द "उच्चतम ग्रेड के" शामिल किए जाएंगे।

6. धारा 8 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 8 में शब्द "चिकित्सा देखभाल नियमावली " के बाद तथा शब्द "यथासंशोधित" से पूर्व शब्द "तथा दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना" शामिल की जाएगी। "

(राकेश स्याल)
संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)